राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गोपीराम बनाम छीतरमल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 12/05/2026 को पेश हो		
12/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृत अधिनियम 1955 की धारा 251-क की उप धारा (1) के अधीन अनुज्ञा का आवेदन पत्र पेश किया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी ख.न. 86 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम विजयगोविन्दपुरा प.ह. मुरलीपुरा गि.ह. भोजपुरा कला तह. कि. रेनवाल जिला जयपुर राज. में स्थित है	प्रार्थीगण काश्तकार पशा व्यक्ति है जो काश्त करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते है	प्रार्थीगण ने उक्त आराजी में रहने के लिए मकानात भी बना रखे है	उक्त आराजी में आने जाने के लिए रास्ता अप्रार्थीगण की आराजी ख.न. 87 की पश्चिमी उत्तरी सींव के सहारे सहारे है जो 20 फुट दर्शाया गया है जिसे सलग्न नक्शे में मार्क ए से बी दर्शाया गया है	उक्त मार्ग ए से बी रास्ता प्रार्थीगण के बुजुर्गो के समय से अरसा करीब 50 वर्ष पूर्व से कायम है जिससे प्रार्थीगण व उनके परिजन अपनी आराजी में आते जाते रहते है तथा कृषि कलयंत्र एवं अपने पशुओ को लाते ले जाते है	उक्त रास्ता वर्तमान में चालू है	अप्रार्थीगण ने हाल ही उक्त रास्ते को बन्द करने का प्रयास किया जिस पर प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार तह. कि. रेनवाल को शिकायत की गई	उक्त शिकायत पर पटवार हल्का द्वारा दिनांक 11/07/2018 को मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट तैयार की	जिसमे उक्त रास्ते का अरसा करीब 50 वर्षो से चालू होना एवं ख.न. 87 के खातेदारों द्वारा सकडा कर देना पाया	जिससे ख.न. 86 के खातेदारों(प्रार्थीगण) द्वारा अपने मकानों व आराजी में आने जाने की समस्या उत्पन्न हो गई इसलिए पटवार हल्का द्वारा उक्त रास्ते को पुन: चौड़ा करवाये जाने तथा प्रार्थीगण को धारा 251 ए आर.टी.ऐ. के तहत सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दिया जाना उचित पाया	उक्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार तह. कि. रेनवाल द्वारा प्रार्थीगण को धारा 251 ए रा.टी.ऐ. के तहत चारा जोरी करने की सलाह दी	प्रार्थीगण व उनके परिजन बिना किसी बाधा के उक्त रास्ते का उपयोग-उपभोग करते आ रहे है	दक्षिणी ओर स्थित विजयगोविन्दपुरा से हिंगोनिया जाने वाली डामर रोड से प्रार्थीगण की आराजी में आने-जाने का यह सबसे नजदीकी रास्ता है	उक्त रास्ते के पश्चिमी उत्तरी ओर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गोपीराम बनाम छीतरमल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

458/2021

हणुता वगै. एवं मंगला बाबूलाल वगै. के मकानात स्थित है | जो भी उक्त रास्ते से होकर ही आते जाते है | इसके अलावा अन्य कोई नजदीकी रास्ता प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने का नही है | छीतर वगै. ने ख.न. 87 की पूर्वी सींव के पास मकान बना रखे है इसलिए पूर्वी सींव के सहारे रास्ता दिया जाना सम्भव नही है इसलिए प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नक्शे में दर्शित मार्क ए से बी रास्ता जो ख.न. 87 की आराजी में वर्तमान में मौजूद है उसको राजस्व रिकार्ड नक्शे में अंकित करवाया जावे जिससे प्रार्थीगण व उनके परिजनों को सुगमता पूर्वक उक्त रास्ते के उपयोग-उपभोग करने का लाभ प्राप्त हो सके | प्रार्थीगण रास्ते की एवज में मुआवजा राशी भी अदा करने को तैयार व तत्पर है | आजकल अप्रार्थीगण प्रार्थीगण से ईष्याद्वेष रखने लगे है इसलिए आयेदिन रास्ते के उपयोग-उपभोग में व्यवधान पैदा करते रहते है इसलिए प्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण की आराजी ख.न. 87 की पश्चिमी-उत्तरी सींव के सहारे 20 फुट चौड़ा रास्ता मार्क ए से बी कायम करवाकर राजस्व नक्शे में अंकित करवाने बाबत पेश कर तदनुसार अनुतोष चाहा गया |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिसेज जारी किये गये एवं तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गयी | तामील की कार्यवाही पूर्ण हो जाने एवं तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 5 व 50 की और से आपत्ति बाबत तहसीलदार रिपोर्ट पेश होने पर पक्षकारान की बहस सुनी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 22/10/2019 के जरिये तहसीलदार स्वयं को मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार कर रिपोर्ट पुन: भिजवाये जाने के निर्देश दिये गये | तत्पश्चात तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर अपने आदेश दिनांक 30/03/2021 के द्वारा प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साबित न होना धारित कर खारिज कर दिया गया | जिससे व्यथित अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 05/04/2019 व 17/03/2021 एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गोपीराम बनाम छीतरमल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	458/2021	

अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्राप्त तहसीलदार की रिपोर्ट का समुचित अध्ययन किये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से प्रार्थना पत्र धारा-251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को ख़ारिज करने में तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी कारित की गयी है जबकी तहसीलदार की रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकन है कि प्रार्थी के पास कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है एवं प्रार्थी को रास्ता आवश्यक है | ऐसी स्थिति में कानूनन रिकार्डेड रास्ता कायम किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है | राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए की मंशा भी यही है कि प्रत्येक कृषक को उनकी कृषि जात में उन्नत कृषि उत्पादन हेतु कृषि साधनों की पहुंच को सुनिश्चित करने हेतु रिकार्डेड रास्ता प्रदान किया जाना आवश्यक होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं क़ानूनी प्रावधानों के विपरित जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटी किया जाना प्रकट होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30/03/2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे बाद सुनवाई उभयपक्षकारान प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के तहत विधिसम्मत निर्णय पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 12/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |